सं. 22/ वीजीएल/067
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 01.12.2022

परिपत्र संख्या 26/12/2022

विषय : सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों पर आयोग की अधिकारिता के संबंध में स्पष्टीकरण।

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 8 (2) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 12.09.2007 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसायटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के संबंध में अधिकारियों के स्तर को निर्दिष्ट किया गया था।

2. राजपत्र अधिसूचना में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सामान्य बीमा कंपनियों के संबंध में अधिकारियों के स्तर को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

क्रमांक सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सामान्य बीमा कंपनियां	अधिकारियों का स्तर
(i)	अनुसूची 'क' और 'ख' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी और E-8 एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारी
(ii)	अनुसूची 'ग' और 'घ' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी और E-7 एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारी
(iii)	सामान्य बीमा कंपनियां	प्रबंधक एवं उससे ऊपर के अधिकारी

3. जैसा कि दिनांक 12.09.2007 की राजपत्र अधिसूचना से देखा जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सामान्य बीमा कंपनियों के संबंध में आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के स्तर का निर्धारण करने का मानदंड "पदनाम" है।

4. दिनांक 12.09.2007 के राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के समय, सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक स्तर के अधिकारी, स्केल-V में वेतन आहरित कर रहे थे। तथापि, वर्तमान में, वह स्केल-IV में वेतन आहरित कर रहे हैं। यह ध्यान में आया है कि कुछ सामान्य बीमा कंपनियों ने एकतरफा निर्णय लिया है कि वे अपने प्रबंधक स्तर के अधिकारियों के सतर्कता मामलों को आयोग की सलाह प्राप्त करने के लिए अग्रेषित नहीं करेंगे, उन्होंने यह माना है कि स्केल- IV में वेतन आहरित करने वाले अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

5. इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.09.2007 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी और E-8 और इससे ऊपर के अन्य अधिकारी और अनुसूची "क" एवं "ख" सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह, अनुसूची 'ग' एवं 'घ' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी और अन्य E-7 और इससे ऊपर के अन्य अधिकारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दिनांक 12.09.2007 के राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वेतन में संशोधन किया है, जिसके कारण E-6, E-7 और E-8 के स्तर के अधिकारी समान वेतनमान अर्थात 1,20,000/- से 2,80,000/- में वेतन आहरित कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या E-6 और E-7 के कार्यकारी, जो E-8 कार्यकारियों के समान वेतनमान प्राप्त कर रहे है, को भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समझा जाए।

6. यह नोट किया जाए कि आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों और सामान्य बीमा कंपनियों के अधिकारियों के स्तर का निर्धारण करने के लिए दिनांक 12.09.2007 की राजपत्र अधिसूचना में राजपत्र में उल्लिखित मानदंड "पदनाम" है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा वेतन आहरित किए जाने के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सामान्य बीमा कंपनियों के अधिकारियों के निम्नलिखित स्तर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते रहेंगे : -

(i)	अनुसूची 'क' और 'ख' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :-	बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी और E-8 एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारी
(ii)	अनुसूची 'ग' और 'घ' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :-	बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी और E-7 एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारी
(iii)	सामान्य बीमा कंपनियां	प्रबंधक एवं उससे ऊपर के अधिकारी

7. सतर्कता नियमावली 2021 के पैरा 1.2.1 (ख) (ii) और (iii) भी उपर्युक्त सीमा तक संशोधित हैं।

8. आयोग के दिनांक 08.01.2004 के कार्यालय आदेश संख्या 2/1/04 के साथ पठित सतर्कता नियमावली 2021 के पैरा 1.2.2(क), पैरा 7.9.5 और पैरा 7.9.6 के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/कर्मचारियों से जुड़े मामले को एक समग्र मामले के रूप में माना जाना चाहिए और इसमें आयोग की सलाह आवश्यक होगी है, यदि कम से कम एक अधिकारी (उस मामले में शामिल) केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

9. उपर्युक्त स्पष्टीकरण को सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाए और संबंधित संगठनों में प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर तदनुसार कार्रवाई की जाए।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

प्रति :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. सीपीएसयू /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां/स्वायत्त निकाय आदि के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों/ सीपीएसयू/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां/ स्वायत्त निकाय इत्यादि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट